न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार योगी

वाद सं. 33/2017

उनवान

1. भंवर लाल पुत्र श्री मालीराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम बाई का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. रघुवर दयाल पुत्र हनुमान सहाय
2. महावीर पुत्र हनुमान सहाय
3. बिहारी लाल पुत्र हनुमान सहाय
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम बाई का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम मोरीजा, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं, तह. चौमूं, जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक महोदय, चौमूँ, उपपंजीयन कार्यालय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः– 09.05.2017

पत्रावली पेश हुई। वादी के अधिवक्ता उपस्थित है। वादी ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया है वाके ग्राम मोरीजा बी, पटवार हल्का मोरीजा बी, तहसील चौमूं, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मोरीजा, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 465 के हाल खसरा नम्बर 2112 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2122 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2123 रकबा 1.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2124 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2125 रकबा 0.97 हैक्टेयर कुल किता 5 का कुल रकबा 3.44 हैक्टेयर भूमि स्थित में वादी का 1/4 हिस्सा निहित हैं। उक्त आराजीयात ही वाद हाजा में विवादग्रस्त हैं, जिसे की वाद पत्र की अग्रिम मदों में भूमि विवादग्रस्त से सम्बोधित किया गया हैं।

भूमि विवादग्रस्त वर्णित मद नम्बर 2 वाद पत्र का आज दिन तक विधिवत रूप से तकासमा नहीं हो रखा हैं, भूमि अविभाजित संयुक्त खातेदारी की हैं, जिसको वादी एवं प्रतिवादीगण ने मनबंट से बांट रखा है, मनबंट अनुसार वादी के हिस्से में खसरा नम्बर 2121, 2125 के पश्चिमी ओर व खसरा नम्बर 2124 के पूर्व भाग की भूमि हिस्से में आई हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 रघुवर दयाल के हिस्से में खसरा नम्बर 2122, 2123 के पूर्वी ओर तथा 2124 का पश्चिमी भाग की भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 महावीर के हिस्से मे खसरा नम्बर 2122, 2123 के पश्चिमी ओर की भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 3 बिहारी लाल के हिस्से में खसरा नम्बर 2121 व 2125 के पूर्वी ओर की भूमि हिस्से में आई हैं। इस प्रकार वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात का मनबंट अनुसार प्राप्त हिस्से पर पक्षकारान हर प्रकार से मौके पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे है तथा राज्य सरकार को लगान शामलाती रूप से अदा करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा कभी भी वादी के कब्जे काश्त के शान्ति पूर्ण उपयोग उपभोग मे उक्त वाद पत्र में उल्लेखित वाद कारण से पूर्व कभी कोई दखलन्दाजी व व्यवधान कारित नहीं किया गया।

पूर्व में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के मन में कतई कोई बेईमानी नहीं रही थी, किन्तु अब भूमि विवादग्रस्त की बाजारू कीमतों में वृद्धि हो जाने से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के मन में कतई बेईमानी आने लगी हैं तथा वे वादी को उसके कब्जे काश्त में उपयोग–उपभोग में दखलन्दाजी करने लगे हैं तथा दिनांक 31.03.2017 को प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

संख्या 1 ता 3 अपने साथ कुछ दीगर व्यक्तियों को लेकर भूमि विवादग्रस्त पर आये तथा आते ही भूमि विवादग्रस्त के विशिष्ठ भू–भाग की नाप जौख करने लगे, जब वादी ने नाप जोख का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने कहा कि वे भूमि विवादग्रस्त का बेचान कर रहे हैं तथा भूमि को बिना भू रूपान्तकरण करवाये ही व्यवसायिक उपयोग उपभोग करेगे तथा जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 से निवेदन किया कि वे पहले भूमि विवादग्रस्त का विधिवत रूप से तकासमा मनबंट में प्राप्त कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुये बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवा ले, फिर बेचान करें, जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 उग्र हो गये तथा वादी को ऐलानियां धमकी दी कि वे अतिशीघ्र भूमि विवादग्रस्त का बेचान, हस्तान्तरित करके रहेगें तथा भूमि में व्यवसायिक कार्य करेगे तथा वादी को उसके हक हिस्से से जबरिया बेदखल करके रहेगें तथा विधिवत तकासमा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने से साफ इन्कार कर दिया। जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 से निवेदन किया कि वे प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र या विलेख पत्र को तस्दीक नहीं करे तथा राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन परिवर्धन नहीं करें, जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 5 ने वादी को कोई सन्तुष्टिप्रद जवाब नहीं दिया। इसलिये वादी को यह वाद पत्र पेश करना लाजमी आया हैं।

वादी को कानूनन हक अधिकार प्राप्त हैं कि वादी वाद पत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिवत तकासमा अपने मनबंट में प्राप्त कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुये करवा कर स्वयं के हिस्से का पृथक से पर्चा लगान कायम करवायें।

वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित विवादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा वादी के मनबंट में प्राप्त कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुये किया जाकर विवादग्रस्त भूमि हाल खाता संख्या 465 की आराजीयात में वादी के हिस्से 1/4 का चर्चा लगान अलग से कायम किया जावें।

वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 भूमि विवादग्रस्त वर्णित मद नम्बर 2 वाद पत्र में वादी के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में, उपयोग–उपभोग में, उपजों को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी, बाधा, रूकावट, व्यवधान, मजाहमत या मदाहखलात पैदा नहीं करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त का बिना विधिवत तकासमा करवाये बिना किसी दीगरान् को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, गिरवी, बक्शीश, आदि करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त में पुख्ता या खाम निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही भूमि विवादग्रस्त को कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तित करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त में नींव, खड्डे आदि खोदे, ना ही भूमि विवादग्रस्त में उगे हरे वृक्षों को काटे, छांगे, ना ही वादी को उसके कब्जे काश्त से जबरिया लठ्ठ के बल पर बेदखल करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त में दीगरान् को प्रवेश करवाये, ना ही कब्जा करवाये, तथा प्रतिवादी संख्या 4 भूमि विवादग्रस्त बाबत राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करे तथा प्रतिवादी संख्या 5 भूमि विवादग्रस्त बाबत प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र या विलेख पत्र को तस्दीक नहीं करें। उपरोक्त समस्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वंय करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट, वर्कमैन, या परिवारजन के द्वारा करवायें।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 3 ता 5 बावजूद तामिल अनुपस्थित हैं। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उप0 आये तथा अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने वाद पत्र मात्र मिन प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया हैं, जो वादी का वाद कतई चलने योग्य नहीं होने से मय हर्जा व खर्चा के खारिज किये जाने योग्य हैं।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

वादी मान्य न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं आया हैं। वास्तविक तथ्यों को छुपाकर मान्य न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया हैं जो खारिज किये जाने योग्य हैं।

वादी का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है, वादी ने घोषणा का कोई अनुतोष अपने वाद पत्र में नहीं चाहा हैं, वादी का वाद पत्र घोषणा के अनुतोष के अभाव में कतई चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि वादी का वाद विरूद्ध मिन प्रतिवादीगण मय हर्जा व खर्चा के खारिज फरमाया जाते हुये मिन प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को वादी से हर्जा विशेष अ0 धारा 35 (बी) सी0पी0सी0 के 10,000/– रूपये दिलवाये जावें।

पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने जवाब दावे में कथन किया है कि वादी का विवादित भूमि पर कब्जा ही नही हैं। जबकि वादी नक्ल जमाबन्दी के अनुसार विवादित भूमि में 1/4 हिस्से का रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। इस प्रकार वादी का विवादित भूमि पर अपने हिस्से पर कब्जा काश्त साबित होता हैं। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है कि विवादित भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नही हो। नियमानुसार प्रत्येक सहखातेदार को अपनी सहखातेदारी भूमि का विधिवत तकासमा करवाने का पूर्ण रूप से हक व अधिकार प्राप्त हैं। लिहाजा प्रकरण को प्रा0डिक्री किया जाना उचित हैं।

अतः वादीगण का वाद पत्र प्रा0 डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि विवादीत आराजीयात खाता संख्या 465 के हाल खसरा नम्बर 2112 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2122 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2123 रकबा 1.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2124 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2125 रकबा 0.97 हैक्टेयर कुल किता 5 का कुल रकबा 3.44 हैक्टेयर वाके ग्राम मोरीजा बी, पटवार हल्का मोरीजा बी, तहसील चौमूं, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मोरीजा, जिला जयपुर का पक्षकरान् के मध्य उनके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार रास्ते की सुविधा को मध्य नजर रखते हुये बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा करने के आदेश दिये जाते है। प्रा. डिक्री जारी हो। प्रा. डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमू को भेजी जावें।

निर्णय आज तारीख 09.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अशोक कुमार योगी
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी चौमू, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

उनवान – भंवर लाल बनाम रघुवर दयाल वगै0
वाद पत्र तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय दिनांक 09.05.2017

प्रारम्भिक डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास अशोक कुमार योगी आरएएस

1. भंवर लाल पुत्र श्री मालीराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम बाई का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. रघुवर दयाल पुत्र हनुमान सहाय
2. महावीर पुत्र हनुमान सहाय
3. बिहारी लाल पुत्र हनुमान सहाय
समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम बाई का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम मोरीजा, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं, तह. चौमूं, जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक महोदय, चौमूं, उपपंजीयन कार्यालय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 33/2017

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादीगण व हाजरी .प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू अशोक कुमार योगी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रा0 डिगरी दी जाती है कि :– वादीगण का वाद पत्र प्रा0 डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि विवादीत आराजीयात खाता संख्या 465 के हाल खसरा नम्बर 2112 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2122 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2123 रकबा 1.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2124 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2125 रकबा 0.97 हैक्टेयर कुल किता 5 का कुल रकबा 3.44 हैक्टेयर वाके ग्राम मोरीजा बी, पटवार हल्का मोरीजा बी, तहसील चौमूं, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मोरीजा, जिला जयपुर का पक्षकरान् के मध्य उनके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार रास्ते की सुविधा को मध्य नजर रखते हुये बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार चौमूं को तहरीर जारी हों।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 09.05.2017 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....
ओहदा उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जिला जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

. 33/2017

1. भंवर लाल पुत्र श्री मालीराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम बाई का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर। **वादीगण**

बनाम

1. रघुवर दयाल पुत्र हनुमान सहाय
2. महावीर पुत्र हनुमान सहाय
3. बिहारी लाल पुत्र हनुमान सहाय
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम बाई का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम मोरीजा, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं, तह. चौमूं, जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक महोदय, चौमूँ, उपपंजीयन कार्यालय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 16.05.2017

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट मोरीजा में पेश हुई। व.फ.उपस्थित। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 09.05.17 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमू से कुरेजात प्राप्त हो चुके है। जिस पर वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्षों ने अपनी बहस मे कथन किया किया है कि वाद में तहसीलदार चौमू द्वारा प्राप्त कुरेजात अनुसार पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से बटवारा किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की जावे। हमने बहस पर मनन किया तथा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार चौमू द्वारा प्राप्त कुरेजात में वकील उभयपक्षों को कोई एतराज नही है तथा कुरेजात अनुसार दावें में अन्तिम रूप से अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

अतः प्राप्त कुरेजात स्वीकार किये जाते है तथा पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री की जाती है:– यह की विवादित आराजियात आराजी ख0न0 2121 रकबा 0.71हैक0, ख0न0 2122 रकबा 0.57हैक0, ख0न0 2123 रकबा 1.18हैक0, ख0न0 2124 रकबा 0.01हैक0, ख0न0 2125 रकबा 0.97हैक0 कुल किता– 5 का कुल रकबा 3.44हैक0 वाके ग्राम मोरीजा बी तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. भंवरलाल पुत्र मालीराम जाति मीणा सा0 बाई का बास तहसील चौमूं खातेदार को ख.न. 2121/2 रकबा 0.31हैक.,ख.न. 2123/3 रकबा 0.09हैक.,ख.न. 2124 रकबा 0.01हैक., ख. न. 2125/1 रकबा 0.45हैक्ट. कुल किता 4 का कुल रकबा 0.86हैक. का कुल लगान 29.32 रूपये जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. रघुवरदयाल पुत्र हनुमानसहाय जाति मीणा सा0 देह खातेदार को ख.न. 2121/1 रकबा 0.06हैक.,ख.न. 2122/2 रकबा 0.26हैक.,ख.न. 2123/2 रकबा 0.54हैक., कुल किता 3 का कुल रकबा 0.86हैक. का कुल लगान 29.67 रूपये जो संलग्न नजरी नक्शे मे नारंगी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

3. महावीर पुत्र हनुमानसहाय जाति मीणा सा0 देह खातेदार को ख.न. 2122/1 रकबा 0.31हैक.,ख.न. 2123/1 रकबा 0.55हैक., कुल किता 2 का कुल रकबा 0.86हैक. का कुल लगान 29.67 रूपये जो संलग्न नजरी नक्शे मे हल्का हरा रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

4. बिहारीलाल पुत्र हनुमानसहाय जाति मीणा सा0 देह खातेदार को ख.न. 2121/3 रकबा 0.34हैक.,ख.न. 2125/2 रकबा 0.52हैक., कुल किता 2 का कुल रकबा 0.86हैक. का कुल लगान 29.67 रूपये जो संलग्न नजरी नक्शे मे गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश दिनांक 16.05.2017 को मेरे द्वारा न्याय आके द्वार केम्प कोर्ट मोरीजा में सुनाया।

अशोक कुमार योगी
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास अशोक कुमार योगी आरएएस

1. भंवर लाल पुत्र श्री मालीराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम बाई का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. रघुवर दयाल पुत्र हनुमान सहाय
2. महावीर पुत्र हनुमान सहाय
3. बिहारी लाल पुत्र हनुमान सहाय
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम बाई का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम मोरीजा, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं, तह. चौमूं, जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक महोदय, चौमूॅं, उपपंजीयन कार्यालय, तहसील चौमूॅं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 33 / 2017

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू अशोक कुमार योगी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

1. भंवरलाल पुत्र मालीराम जाति मीणा सा0 बाई का बास तहसील चौमूं खातेदार को ख.न. 2121 / 2 रकबा 0.31हैक.,ख.न. 2123 / 3 रकबा 0.09हैक.,ख.न. 2124 रकबा 0.01हैक., ख. न. 2125 / 1 रकबा 0.45हैक्ट. कुल किता 4 का कुल रकबा 0.86हैक. का कुल लगान 29. 32 रूपये जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. रघुवरदयाल पुत्र हनुमानसहाय जाति मीणा सा0 देह खातेदार को ख.न. 2121 / 1 रकबा 0.06हैक.,ख.न. 2122 / 2 रकबा 0.26हैक.,ख.न. 2123 / 2 रकबा 0.54हैक., कुल किता 3 का कुल रकबा 0.86हैक. का कुल लगान 29.67 रूपये जो संलग्न नजरी नक्शे मे नारंगी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. महावीर पुत्र हनुमानसहाय जाति मीणा सा0 देह खातेदार को ख.न. 2122 / 1 रकबा 0. 31हैक.,ख.न. 2123 / 1 रकबा 0.55हैक., कुल किता 2 का कुल रकबा 0.86हैक. का कुल लगान 29.67 रूपये जो संलग्न नजरी नक्शे मे हल्का हरा रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
4. बिहारीलाल पुत्र हनुमानसहाय जाति मीणा सा0 देह खातेदार को ख.न. 2121 / 3 रकबा 0.34हैक.,ख.न. 2125 / 2 रकबा 0.52हैक., कुल किता 2 का कुल रकबा 0.86हैक. का कुल लगान 29.67 रूपये जो संलग्न नजरी नक्शे मे गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 16.05.2017 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

उनवान – भंवर लाल बनाम रघुवर दयाल वगै0
वाद पत्र तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय दिनांक 16.05.2017

मोहर

दस्तखत .....
ओहदा.....
उपखण्ड अधिकारी
जिला जयपुर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जिला जयपुर

Scanned by CamScanner